

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 4345/2022

लोकेन्द्र सिंह

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर जोन, भरतपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खातुपरा, जिला सवाईमाधोपुर।
5. राम प्रकाश मीणा, वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) वर्तमान पदस्थ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आकोला, जिला चित्तौडगढ़।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.09.2022

आदेश की दिनांक : 02.11.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमार सैनी, अभिभाषक

प्रत्यर्थागण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- मातादीन शर्मा, सदस्य  
शुचि शर्मा, सदस्य

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खातुपुरा, जिला सवाई माधोपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 02.09.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा निजी प्रत्यर्था संख्या 5 को अकोला, चित्तौडगढ़ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खातुपुरा, जिला सवाई माधोपुर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया और अगले ही दिन आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-2) के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, परदमपुरा,

जिला करौली पदस्थापित किया गया तथा आदेश दिनांक 06.09.2022 (अनुलग्नक-3) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के किया गया है। उसका स्थानान्तरण परिवीक्षा काल के दौरान ही निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजित करने के आशय से किया गया है, जो अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश के विरुद्ध है। अपीलार्थी 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग है और उसकी नियुक्ति दिव्यांग कोटे से ही हुई है, जो अनुलग्नक-4 एवं 5 से प्रकट होता है। उनका कथन है कि ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अनुचित माना है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 02.09.2022 (अनुलग्नक-1) एवं 03.09.2022 (अनुलग्नक-2) तथा कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 06.09.2022 (अनुलग्नक-3) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि अपीलार्थी आलोच्य आदेश की पालना में कार्यग्रहण कर चुका है। उनका यह भी तर्क है कि किसी भी राजकीय कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश नियमों के अंतर्गत ही एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जनहित में जारी किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खातुपुरा, जिला सवाई माधोपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बॉस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के

प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

*"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :-

*"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

जहाँ तक अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर दिनांक 01.09.2020 से परिवीक्षाधीन (probationer) है। राजस्थान सेवा नियमों के नियम, 7(30) में परिवीक्षाधीन को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

*'परिवीक्षाधीन : परिवीक्षाधीन से तात्पर्य उस कर्मचारी से है जो किसी सेवा अथवा संवर्ग (केडर) में स्थायी रूप से एक रिक्त पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया गया है।'*

परिवीक्षाधीन की उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी सभी प्रयोजनार्थ राजस्थान शिक्षा सेवा (स्कूल शिक्षा) का सदस्य है। परिवीक्षाधीन अवधि में एक प्रोबेशनर अन्य कार्मिक की भांति कार्य सम्पादित करता है और उसका स्थानान्तरण भी सेवा के अन्य सदस्यों की भांति किया जा सकता है। प्रोबेशनर की कोई पृथक सेवा नहीं होती है, ऐसी स्थिति में प्रोबेशनर से अलग प्रकार का व्यवहार करना या भेद करना युक्तियुक्त एवं नियमानुकूल नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)  
सदस्य

(मातादीन शर्मा)  
सदस्य